पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 अक्टूबर, 2025 ई0 (आश्विन 26, 1947 शक सम्वत्) [संख्या–42

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	839–842	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	331–337	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	403–405	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना

03 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या 621/XX-4-2025-E-93192–श्री राज्यपाल, दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25 वर्ष 1946 की धारा–6 के अनुसरण में जनपद देहरादून के थाना रायपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0–301/2025 अन्तर्गत धारा 11(1), 11(2), 12(2), 12(3) उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 बनाम खालिद, सुमन, हिना सबिया एवं अन्य के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुये या सम्बन्धित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किये गये अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषणों के लिये सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश अथवा उनकी ओर से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

06 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या 335400/IX-1/2025/246(2013)–परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 49851/IX-1/2022/246(2013)/2019 दिनांक 14.07.2022 को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–56 के उप नियम (7) में विहित प्राविधानों के अधीन श्री सनत कुमार सिंह, अपर परिवहन आयुक्त को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के सचिव के रूप में नियुक्त करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

बृजेश कुमार सन्त,

सचिव।

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

06 अक्टूबर, 2025 ई०

संख्याः 545/XVIII(3)/2025-03(01)/2017–राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की दिनांक से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रहेंगे:–

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	गांव का नाम
1	2	3	4
नैनीताल	रामनगर	भावर	पम्पापुरी, दुर्गापुरी, कौशल्यापुरी एवं भरतपुरी

आज्ञा से,

डॉ0 सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,

सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 545/XVIII(3)/2025-03(01)/2017 Dated- October 06, 2025 for general information.

NOTIFICATION

October 06, 2025

No. 545/XVIII (3)/2025-03(01)/2017--In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the village mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette:-

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Nainital	Ramnagar	Bhawar	Pampapuri, Durgapuri, Kaushalyapuri and Bharatpuri

By Order,

Dr. SURENDRA NARAYAN PANDEY,

Secretary, Revenue.

वित्त अनुभाग–10

कार्यालय–ज्ञाप

09 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या–336506/XXVII-10/2025-E-26942/2022–उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 एवं अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल घोषित करते है कि सामान्य सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर दिनाक–01 अप्रैल, 2025 से दिनांक–30 जून, 2025 एवं दिनाक–01 जुलाई, 2025 से दिनांक–30 सितम्बर, 2025 तक की अवधि हेतु 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। उक्त दर क्रमंशः दिनाक–01 अप्रैल, 2025 एवं दिनाक–01 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

डा0 वी0 षणमुगम,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 42 हिन्दी गजट/423–भाग 1–2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 26, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

September 16, 2025

No. 312/XIV-a-50/Admin.A/2015--Ms. Shama Parveen, 4th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 13 days w.e.f. 18.05.2025 to 30.05.2025.

NOTIFICATION

September 22, 2025

No.313/XIV/a-19/Admin.A/2009--Ms. Jyoti Bala, Civil Judge (Sr. Div.), Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 18 days w.e.f. 06.08.2025 to 23.08.2025 with permission to suffix 24.08.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

September 22, 2025

No. 314/XIV-a-43/Admin.A/2020--Shri Shrey Gupta, Civil Judge (Jr. Div.), Narendra Nagar District Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 25.04.2025 to 03.05.2025 with permission to suffix 04.05.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

September 22, 2025

No. 315/XIV-a-41/Admin.A/2016--Shri Puneet Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 25.08.2025 to 04.09.2025 with permission to prefix 24.08.2025 as Sunday holiday & 05.09.2025 as Barawafat holiday.

NOTIFICATION

September 22, 2025

No. 316/XIV-a-39/Admin.A/2021--Shri Santosh Pachhmi, the then Judicial Magistrate-III, Haridwar presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Ukhimath District Rudraprayag is hereby sanctioned earned leave for 29 days w.e.f. 28.06.2025 to 26.07.2025 with permission to suffix 27.07.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

September 22, 2025

No. 317/XIV-a-23/Admin.A/2010--Shri Sahdev Singh, District & Sessions Judge, Rudraprayag is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 05.08.2025 to 14.08.2025 with permission to suffix 15.08.2025 to 17.08.2025 as Independence Day, Shri Krishna Janmashtami & Sunday holiday respectively.

NOTIFICATION

May / October 06, 2025

No. 319/XIV/a-40/Admin.A-2/2023--Ms. Tanya Middha, Judicial Magistrate-1st, Pithoragarh is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 19.07.2025 to 29.07.2025.

NOTIFICATION

September / October 06, 2025

No. 320/XIV-a/23/Admin.A/2014--Shri Dayaram, Chief Judicial Magistrate, Almora, is hereby sanctioned medical leave for 35 days w.e.f. 01.08.2025 to 04.09.2025.

NOTIFICATION

September / October 06, 2025

No. 321/XIV-a-32/Admin.A/2020--Ms. Sanchi Agrawal, the then Additional Civil Judge (Jr. Div.), Bazpur District Udham Singh Nagar presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Doiwala District Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 31.07.2025 to 06.08.2025.

NOTIFICATION

September / October *06, 2025*

No. 322/XIV/a-37/Admin.A/2021--Ms. Jahan Ara Ansari, the then Civil Judge (Jr. Div.), Champawat presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Jaspur District U.S. Nagar is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 30.06.2025 to 13.07.2025.

NOTIFICATION

September / October *06, 2025*

No. 323/XIV/a-37/Admin.A/2021--Ms. Jahan Ara Ansari, the then Civil Judge (Jr. Div.), Champawat presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Jaspur District U.S. Nagar is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 09.06.2025 to 21.06.2025 with permission to prefix 07.06.2025 as Id-ul-Zuha & 08.06.2025 as Sunday and suffix 22.06.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

September / October *06, 2025*

No. 324/XIV/a-37/Admin.A/2021--Ms. Jahan Ara Ansari, the then Civil Judge (Jr. Div.), Champawat presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Jaspur District U.S. Nagar is hereby sanctioned medical leave for 15 days w.e.f. 14.05.2025 to 28.05.2025.

NOTIFICATION

September / October *06, 2025*

No. 325/XIV-a-36/Admin.A/2012--Shri Ravi Shankar Mishra, Civil Judge (Sr. Div.), Vikasnagar District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 13.02.2025 to 25.02.2025 with permission to suffix 26.02.2025 as Maha Shivratri.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

September 12, 2025

No. 309/UHC/Admin.A-2/2025--In exercise of powers conferred U/s 9 (3)of *"The Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023"*, following Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Jr. Div.), Batch-2022 are hereby conferred with the powers of Judicial Magistrate 1st Class to exercise these powers within the districts where they remain posted:

S.No.	Name of the officer
1.	Shri Vishal Thakur
2.	Ms. Srishti Baniyal
3.	Shri Yogeesh Gupta
4.	Ms. Pragya Tiwari
5.	Ms. Parminder Kaur
6.	Ms. Anubhuti Goel
7.	Ms. Asmita Chauhan
8.	Ms. Gunjan Shishodia
9.	Shri Mohd. Wasiq
10.	Ms. Kajal Rani
11.	Ms. Neha
12.	Ms. Dhanishta Arya
13.	Shri Akas Kumar
14.	Shri Paritosh
15.	Shri Jyoti Singh

By Order of the Court,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

कार्यालय, पीठासीन अधिकारी
श्रम न्यायालय, देहरादून

कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र

15 सितम्बर, 2025 ई0

पत्रांक—537/श्रम न्यायालय/दे.दून/2025—प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, श्रम अनुभाग के पत्रांक संख्या 01/319397/2025(1)/VIII-1/2025—118(श्रम) 2010, (comp no 12888) देहरादून, दिनांकित 04 अगस्त 2025 के अनुक्रम में श्रीमती कहकशा खान महोदया द्वारा दिनांक 04.08.2025 से 12.09.2025 तक (दिनांक 13.09.2025 व 14.09.2025 के राजकीय अवकाश को सफिक्स करते हुए) कुल 40 दिनों के स्वीकृत बाल्य देखभाल अवकाश का उपभोग करने के उपरान्त दिनांक 15.09.2025 को पूर्वाह्न में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय देहरादून का कार्यभार ग्रहण किया गया।

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0 (अस्पष्ट)
श्रम सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

कहकशा खान

उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय,
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

12 सितम्बर, 2025 ई0

पत्रांक—3115/सा0प्रशा0/2025—वाहन संख्या UK06V-2452 (PULSAR 150 DTSI), जिसका चेसिस संख्या— MD2DHDHZZUCL72920, इंजन संख्या—DHGBUL40246, मॉडल 2012 है, को श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कल्याण निवासी म0नं0 96ए, खेडा कॉलोनी, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के नाम पर दिनांक 13.03.2012 को दर्ज किया गया था। कार्यालय अभिलेखानुसार संदर्भित वाहन संख्या UK06V-2452 (PULSAR 150 DTSI) का दिनांक 23.01.2013 को श्री संदीप पुत्र श्री गुवेल सिंह निवासी आवास विकास, रूद्रपुर के नाम पर स्वामित्व हस्तांतरण किया गया है।

उक्त वाहन के संदर्भ में दिनांक 13.02.2025 को श्री संदीप सिंह पुत्र श्री गुरवेल सिंह निवासी म0नं0 121, गली नं0 02, आवास विकास जगतपुरा, रूद्रपुर, कार्यालय में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि संदर्भित वाहन संख्या UK06V-2452 (PULSAR 150 DTSI), उनके नाम पर पंजीकृत है, जबकि उक्त वाहन को उनके द्वारा अपने नाम पर पंजीकृत/स्वामित्व हस्तांतरण नही कराया गया है। दिनांक 15.04.2025 को संदर्भित वाहन के स्वामित्व को सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 620/कर पंजीयन अनुभाग/2024—25 के माध्यम से, श्री संदीप सिंह पुत्र श्री गुरवेल सिंह निवासी म0नं0 121, गली नं0 02, आवास विकास जगतपुरा, रूद्रपुर को पत्र जारी किया

गया। उक्त पत्र के क्रम में श्री संदीप सिंह द्वारा एक शपथ पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित वाहन संख्या **UK06V-2452** (PULSAR 150 DTSI) उनके नाम से पंजीकृत है, जबकि उनके द्वारा इस प्रकार को कोई भी वाहन अपने नाम से क्रय कर पंजीकृत नही कराया गया है। किसी अज्ञात द्वारा उनके नाम व आई0डी0 का दुरूप्रयोग करते हुए उसका लगातार प्रयोग किया जा रहा है तथा उक्त वाहन का चालान भी हुआ है। श्री संदीप द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त वाहन से संबंधित कोई भी प्रपत्र उनके पास उपलब्ध नही है तथा उनके द्वारा एक शिकायती पत्र दिनांक 17.02.2025 को पुलिस विभाग में भी दिया गया है, जिसका जी0डी0—1637 है। श्री संदीप द्वारा उक्त वाहन से क्षति की आशंका के दृष्टिगत वाहन के पंजीयन को निरस्त करने हेतु आवेदन किया गया।

श्री संदीप सिंह पुत्र श्री गुरवेल सिंह निवासी म0नं0 121, गली नं0 02, आवास विकास जगतपुरा, रूद्रपुर द्वारा यह अवगत कराये जाने पर कि संदर्भित वाहन उनके नाम पर पंजीकृत नही है, वाहन के प्रथम स्वामी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कल्याण निवासी म0न0 96ए, खेडा कॉलोनी, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को, वाहन के स्वामित्व को सुनिश्चित करने तथा स्थिति स्पष्ट करने के लिए वाहन के क्रय/स्वामित्व हस्तांतरण संबंधी अभिलेख प्रपत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 641/कर पंजीयन/2025 दिनांक 17.04.2025 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया। उक्त पत्र डाक विभाग की टिप्पणी 'अधूरा पता' के साथ इस कार्यालय में वापस प्राप्त हो गया। पुनः इस कार्यालय के अनुस्मारक पत्र संख्या 783/कर पंजीयन/2025 दिनांक 05.05.2025 के माध्यम से संदर्भित वाहन के प्रथम स्वामी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कल्याण निवासी म0न0 96ए, खेडा कॉलोनी, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर को पत्र प्रेषित किया गया। पत्र के क्रम में वाहन के प्रथम स्वामी श्री नरेन्द्र कुमार दिनांक 14.05.2025 को कार्यालय में उपस्थित हुए, उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि संदर्भित वाहन पहले उनके नाम पर पंजीकृत था, जिसे वर्ष 2013 में उनके द्वारा डीलर को दे दिया/विक्रय कर दिया गया था। श्री नरेन्द्र कुमार भी वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण के संदर्भ में उचित जानकारी प्रस्तुत नही कर पाए और न ही कोई प्रपत्र प्रस्तुत किया गया। श्री नरेन्द्र द्वारा भी इस आशय का शपथ पत्र कार्यालय में दिया गया कि वाहन डीलर के द्वारा फर्जी तरीके से बिना उनकी जानकारी में लाए श्री संदीप सिंह पुत्र श्री गुरवेल सिंह के नाम पर वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण करवा दिया गया।

अतः कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर स्वामित्व हस्तांतरण करवाये जाने के कारण वाहन संख्या **UK06V-2452** (PULSAR 150 DTSI) का स्वामित्व हस्तांतरण, कार्यालय आदेश संख्या 900/सा0प्रशा0/2025 दिनांक 22.05.2025 के माध्यम से, निरस्त कर दिया गया। स्वामित्व हस्तांतरण निरस्त किये जाने के पश्चात वाहन पुनः प्रथम वाहन स्वामी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कल्याण के नाम पर दर्ज हो गई है। वाहन संख्या **UK06V-2452** (PULSAR 150 DTSI) के प्रथम वाहन स्वामी श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त वाहन वर्ष 2012 में उनके द्वारा क्रय किया गया था परन्तु वर्तमान में उनके पास नही है। श्री नरेन्द्र संबंधित वाहन के स्वामित्व के संबंध में उचित जानकारी नही दे पाये तथा उनके द्वारा वाहन के दुरूप्रयोग के दृष्टिगत वाहन का पंजीयन निरस्त कराने हेतु आवेदन किया गया है। संदर्भित वाहन संख्या **UK06V-2452** (PULSAR 150 DTSI) के संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित की गई, परन्तु कोई व्यक्ति संदर्भित वाहन के संबंध में कार्यालय में उपस्थित नही हुआ और न ही किसी प्रकार का कोई प्रत्यावेदन कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

उक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत मैं मोहित कोठारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंहनगर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 55 में निहित अधिकारों के प्रयोग करते हुए कार्यालय में पंजीकृत वाहन संख्या **UK06V-2452**(PULSAR 150 DTSI) जिसका चेसिस संख्या—MD2DHDHZZUCL72920, इंजन संख्या—DHGBUL40246, मॉडल 2012 है, का उसके मूल वाहन स्वामी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कल्याण निवासी म0न0 96ए, खेडा कॉलोनी, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के आवेदन के क्रम में पंजीयन निरस्त करता हूं।

मोहित कोठारी,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

प्रशासन, ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 42 हिन्दी गजट/423—भाग 1—क—2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 अक्टूबर, 2025 ई० (आश्विन 26, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक–0287296 में त्रुटिवश मेरा नाम कान्ति राम (KANTI RAM) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम कान्ति शर्मा (KANTI SHARMA) है। जो मेरे सर्विस रिकॉर्ड एवं आधार कार्ड नं0–621622129500 व पेन कार्ड नं.–BXWPS0256C में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे कान्ति शर्मा (KANTI SHARMA) S/O LACHHI RAM के नाम से जाना–पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कान्ति शर्मा (KANTI SHARMA)
S/O LACHHI RAM
निवासी–ग्राम व पोस्ट अणु, तहसील–त्यूनी,
जनपद–देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र मोहित डिमरी के हाईस्कूल के अनुक्रमांक नं. 25112988 व इंटर मीडिएट के अनुक्रमांक 25614953 में त्रुटिवश पिता का नाम सुनील डिमरी गलत दर्ज हो गया है। जबकि पिता का सही नाम सुनील कुमार डिमरी है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र पंजीकरण संख्या 88 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को मोहित डिमरी पुत्र श्री सुनील कुमार डिमरी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुनील कुमार डिमरी
निवासी–नक्रौन्दा देहरादून उत्तराखंड।

सूचना

मेरे पुत्र सक्षम डिमरी के हाईस्कूल के अनुक्रमांक नं. 25114022 में त्रुटिवश पिता का नाम सुनील डिमरी गलत दर्ज हो गया है। जबकि पिता का सही नाम सुनील कुमार डिमरी है। जो पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र पंजीकरण संख्या 12321 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को सक्षम डिमरी पुत्र श्री सुनील कुमार डिमरी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुनील कुमार डिमरी
निवासी–नक्रौन्दा देहरादून उत्तराखंड।

सूचना

मेरे पुत्र के CBSE के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25129526 में त्रुटिवश उसका नाम जुनैद (Junaid) व पिता का नाम साजिद (Sazid) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम जुनैद अली (Junaid Ali) व पिता का वास्तविक नाम साजिद अली (Sajid Ali) है जो मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 668 में भी दर्ज है भविष्य में मेरे पुत्र को जुनैद अली (Junaid Ali) पुत्र साजिद अली (Sajid Ali) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

साजिद अली (Sajid Ali)
निवासी– गांव–पनियाला चंदापुर
जिला– हरिद्वार, उत्तराखंड

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 598799162781 में त्रुटिवश उसका नाम पोपिन (POPIN) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम प्रियांशु कुमार (PRIYANSHU KUMAR) है। जो उसके हाईस्कूल अनुक्रमांक 25004103 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को प्रियांशु कुमार (PRIYANSHU KUMAR) पुत्र श्री छोटा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

छोटा
निवासी– पो0 बंदरजूड डालूवाला कलां
हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 92 64 73 31 52 62 में त्रुटि वश अंग्रेजी में AOUJASVA गलत दर्ज हो गया है। जबकि सही स्पेलिंग OJASVA है। भविष्य में मेरे पुत्र को OJASVA (ओजस्व) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अमित कुमार पुत्र विजयपाल सिंह
निवासी ग्राम शेरपुर खेलमऊ थाना झबरेडा
जिला हरिद्वार।

सूचना

मेरे पुत्र आर्यन कुकरेती के सीबीएसई हाईस्कूल अनुक्रमांक 25120882 में त्रुटिवश माता का नाम साधना कुकरेती गलत दर्ज हो गया है जबकि माता का सही नाम यामामोतो आई (YAMAMOTO AI) है जो पुत्र के जन्म प्रमाणपत्र पंजीकरण संख्या B20090404327 व माता के पासपोर्ट नंबर TZ2182738 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को आर्यन कुकरेती पुत्र यामामोतो आई (YAMAMOTO AI) पत्नी शैलेश कुकरेती के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

यामामोतो आई (YAMAMOTO AI)
पत्नी शैलेश कुकरेती
निवासी 53 कोर्ट रोड देहरादून रोड़ के पास
शैल विहार ऋषिकेश जिला देहरादून उत्तराखण्ड

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 42 हिन्दी गजट/423 भाग 8–2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।